रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062023-246296
CG-DL-E-05062023-246296

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2023/ज्येष्ठ 15, 1945
No. 340] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2023/JYAISHTHA 15, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2023

सा.का.नि. 414(अ).—एक प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 405(अ), तारीख 31 मई, 2022 द्वारा विभिन्न पणधारियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उस तारीख जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, से साठ दिवस की अवधि के भीतर प्रकाशित की गई थी;

उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 31 मई, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न पणधारियों से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष की समाप्ति पर प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1 में, क्रम संख्यांक 116 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	उद्योग	मापदंड	मानक	
(1)	(2)	(3)	(4)	
"117	कैल्साइंड पेट्रोलियम कोक (सीपीयू) इकाईयां		उत्सर्जन सांद्रता (एमजी/एम^3)	उत्सर्जन भार (सीपीसी का टन प्रति किग्रा.)
			150 टीपीडी तक उत्पादन क्षमता	
		पीएम	150	0.7
		एसओ$_2$	300	1.4
			150 टीपीडी से अधिक उत्पादन क्षमता	
		पीएम	50	0.23
		एसओ$_2$	300	1.4

टिप्पण:.-

(i) स्टैक की न्यूनतम ऊंचाई (मीटर में) निम्नानुसार संगणित की जाएगी-

एच=14क्यू $^{0.3}$ (जहां क्यू, किलोग्राम प्रति घंटा में एसओ$_2$ उत्सर्जन दर है) , या

एच=74क्यू $^{0.27}$ (जहां क्यू, टन प्रतिघंटा में पीएम उत्सर्जन दर है), जो भी अधिक हो:

परंतु स्टैक की ऊंचाई 30 मीटर से कम नहीं होगी ।

(ii) कैलसाइन्ड पेट्रोलियम कोक (सीपीसी) इकाइयां, पीएम और एसओ$_2$ के लिए सतत् उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सीईएमएस) संस्थापित करेंगी । बेहतर प्रक्रिया नियंत्रण के लिए सीईएमएस द्वारा सीओ की निगरानी और वालेटाइल आर्गेनिक कंपाउंड (वीओसी) परीक्षण तिमाही आधार पर संचालित किया जाएगा ।"

[फा. सं. क्यू-15017/10/2019-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 376(अ), तारीख 18 मई, 2023 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2023

G.S.R. 414(E).— Whereas, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 405(E), dated the 31st May, 2022, inviting objections and suggestions from various stakeholders, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 31st May, 2022;

And whereas, the objections and suggestions received within the specified period from various stakeholders in respect of the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

1. **Short title and commencement**–(1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the expiry of two years from the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-l, after serial number 116 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standards	
(1)	(2)	(3)	(4)	
"117	Calcined Petroleum Coke (CPC) units		Emission Concentration (mg/Nm^3)	Emission Load (kg per tonne of CPC)
			Production capacity up to 150 TPD	
		PM	150	0.7
		SO_2	300	1.4
			Production capacity more than 150 TPD	
		PM	50	0.23
		SO_2	300	1.4

Notes .-

(i) Minimum stack height (in meter) shall be calculated as following-

$H=14Q^{0.3}$ (where Q is SO_2 emission rate in kg/hr), or
$H=74Q^{0.27}$ (where Q is PM emission rate in tonne/hr), whichever is more.
Provided that the stack height shall not be less than thirty meters.

(ii) The Calcined Petroleum Coke (CPC) units shall install continuous emission monitoring system (CEMS) for PM and SO_2, CO monitoring by CEMS and Volatile Organic Compounds (VOC) testing shall be conducted quarterly to have better process control."

[F. No. Q-15017/10/2019-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 376(E), dated the 18th May, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA